न्यायालय अति. सम्भागीय आयुक्त जयपुर

अपील संख्या 59/2017 एवं 60/2017 जिला सीकर

सहायक अभियन्ता 132 के.वी. जी.एस.एस. शाहपुरा रोड, नीमकाथाना, तहसील नीमकाथाना, जिला सीकर जरिये प्राधिकृत अधिकारी सज्जन कुमार गुप्ता पुत्र स्वर्गीय श्री किशोरी लाल गुप्ता, जाति महाजन, निवासी जी.एस.एस. कॉलोनी, नीमकाथाना, तहसील नीमकाथाना, जिला सीकर ।

अपीलान्ट

बनाम

1. अधिशाषी अधिकारी, नगर पालिका , नीमकाथाना, जिला सीकर ।
2. चेयरमैन, नगर पालिका नीमकाथाना, जिला सीकर
3. तहसीलदार नीमकाथाना, जिला सीकर
4. रामगोपाल सैनी पुत्र श्री मंगलाराम सैनी, जाति माली, निवासी गणपति नगर, नीमकाथाना, जिला सीकर ।
5. राजेन्द्र सिंह पुत्र रामोवतार सिंह, जाति राजपूत, निवासी वार्ड नम्बर 4, वीनस कॉलोनी, नीमकाथाना , जिला सीकर ।

रेस्पोंडेन्ट्स

अपील विरूद्ध आज्ञा अति. जिला कलक्टर सीकर दिनांक 23.1.2017 बाबत नामांतरकरण संख्या 42 दिनांक 4.12.2015 व नामांतरकरण संख्या 35 दिनांक 5.10.2015 वाके ग्रम नीमकाथाना, जिला सीकर ।

चित्रा
अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जयपुर

उपस्थित–

1. वकील अपीलान्ट श्री नवीन जैन
2. वकील रेस्पोंडेन्ट 1 व 2 श्री सगीर अहमद
3. वकील रेस्पोंडेन्ट संख्या 4 व 5 श्री संजय शर्मा

निर्णय

दिनांक 9.4.2019

यह दोनों अपीलें राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 76 के अन्तर्गत अति. जिला कलक्टर सीकर के निर्णय दिनांक 23.1.2017 बाबत नामांतरकरण संख्या 42 दिनांक 4.12.2015 व नामांतरकरण संख्या 35 दिनांक 5.10.2015 वाके ग्रम नीमकाथाना, जिला सीकर के खिलाफ मियाद अधिनियम की धारा 5 के प्रार्थना पत्र के साथ दिनांक 23.8.2017 को प्रस्तुत हुई है । दोनों अपीलों के तथ्य, विषयवस्तु, पक्षकार एवं निर्णय किये जाने वाले बिन्दु समान होने के कारण इन दोनों अपीलों का निर्णय एक ही आदेश के द्वारा किया जा रहा है । निर्णय की प्रति दोनों पत्रावलियों पर रखी जावे । दोनों प्रकरणों के संक्षिप्त तथ्य निम्न प्रकार है :–

Scanned by CamScanner

यह कि ग्राम नीमकाथाना, तहसील नीमकाथाना, जिला सीकर स्थित आराजी खसरा नम्बर 244 रकबा 0.04 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 245 रकबा 0.61 हैक्टेयर व खसरा नम्बर 246 रकबा 0.11 हैक्टेयर कुल किता 3 कुल रकबा 0.76 हैक्टेयर अपीलान्ट की खातेदारी में अभिलिखित था । उक्त भूमियों बाबत रेस्पोंडेन्ट संख्या 4 रामगोपाल सैनी व रेस्पोंडेन्ट संख्या 5 गजेन्द्र सिंह द्वारा उप खण्ड अधिकारी नीमकाथाना के समक्ष एक वाद संख्या 97/2015 उनवानी रामगोपाल बनाम सहायक अभियन्ता 132 के.वी. जी.एस.एस. शाहपुरा रोड, नीमकाथाना आदि बाबत घोषणा व दुरूस्ती रिकार्ड प्रस्तुत किया गया जिसमें उप खण्ड अधिकारी नीमकाथाना ने निर्णय दिनांक 28.9.2015 पारित किया कि यह तथ्य तो वादी एवं प्रतिवादी दोनों ही स्वीकार कर रहे हैं कि भूमि खसरा नम्बर 360 रकबा 0.76 हैक्टेयर चारागाह में से 1 बीघा 10 बिस्वा भूमि ही 132 के.वी. जी.एस.एस. नीमकाथाना के लिए अवाप्त की गई थी । इसी तथ्य की पुष्टि राजस्थान राज पत्र मई 29, 1980 में जारी विद्युत विभाग की अधिसूचना से हो रही है । खसरा नम्बर 360 में से 1 बीघा 10 बिस्वा भूमि अवाप्ति की अधिसूचना जारी की गई है । तहसीलदार द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट में भी स्पष्ट लिखा है कि खाता 1 बीघा 10 बिस्वा का ही खोलना चाहिए था, परन्तु सहवन से सम्पूर्ण रकबा का खाता दर्ज हो गया है । रिपोर्ट में यह तथ्य भी अंकित किया है कि 1 बीघा 10 बिस्वा पर चारदीवारी लगी हुई है , शेष रकबा चारदीवारी से बाहर है । स्वयं सहायक अभियन्ता 132 के.वी. जीएसएस द्वारा पत्रांक 344 दिनांक 12.11.2003 तहसीलदार नीमकाथाना को अन्य खसरा नम्बरान के साथ खसरा नम्बर 360 रकबा 1 बीघा 10 बिस्वा का नामांतरकरण विभाग के नाम दर्ज करने बाबत लिखा गया है । प्रस्तुत रिकार्ड से यह बखूबी जाहिर होता है कि नीमकाथाना के भूमि खसरा नम्बर 360 रकबा 0.76 हैक्टेयर में से 1 बीघा 10 बिस्वा भूमि 132 के.वी. जीएसएस नीमकाथाना के लिए अवाप्त की गई थी । राजस्व कर्मचारियों की गलती/सहवन से खसरा नम्बर 360 रकबा 0.76 हैक्टेयर सम्पूर्ण की खातदोर 132 के.वी. जीएसएस नीमकाथाना के नाम दर्ज होना पाया जाता है । भूमिधारी तहसीलदार नीमकाथाना द्वारा भी स्वीकार किया गया है कि यह सहवन से दर्ज हो गया है । उपरोक्त विवेचन के आधार पर दावा वादी बाबत दुरूस्ती रिकार्ड स्वीकार किया जाकर तहसीलदार नीमकाथाना को आदेश दिया गया कि 132 के.वी. जी.एस.एस. नीमकाथाना के नाम से दर्ज खातेदारी राजस्व ग्राम नीमकाथाना के भूमि खसरा नम्बर 360 रकबा 0.76 हैक्टेयर जिसके नये खसरा नम्बर 244, 245, 246 किता 3 रकबा 0.76 हैक्टेयर के स्थान पर रकबा 1 बीघा 10 बिस्वा दर्ज किया जावे , शेष रकबा चारागाह में दर्ज किया जावे । शेष रिकार्ड बदस्तूर रहेगा ।

चित्रा
अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जयपुर

उप खण्ड अधिकारी नीमकाथाना के उक्त निर्णय दिनांक 28.9.2015 की पालना में पटवारी हल्का द्वारा नामांतरकरण संख्या 35 खातेदार 132 के.वी. जीएसएस नीमकाथाना के नाम दर्ज भूमि 0.76 हैक्टेयर के स्थान पर 0.38 हैक्टेयर भूमि चरागाह एवं 0.38 हैक्टेयर भूमि 132 के.वी. जीएसएस नीमकाथाना के नाम भरा

Scanned by CamScanner

गया जिसे तहसीलदार नीमकाथाना ने दिनांक 5.10.2015 को स्वीकार कर दिया एवं तहसीलदार नीमकाथाना के आदेश दिनांक 4.12.2015 के अनुसार पटवारी हल्का ने नामांतरकरण संख्या 42 रकबा 0.38 हैक्टेयर चारागाह का नगर पालिका नीमकाथाना के नाम भरा गया जिसे तहसीलदार नीमकाथाना ने दिनांक 4.12.2015 को स्वीकार किया है ।

तहसीलदार नीमकाथाना द्वारा तस्दीक उक्त नामांतरकरण संख्या 35 दिनांक 5.10.2015 एवं 42 दिनांक 4.12.2015 से व्यथित होकर अपीलान्ट सहायक अभियन्ता 132 के.वी. जीएसएस नीमकाथाना द्वारा पृथक पृथक अपीलें न्यायालय अति. जिला कलक्टर सीकर के समक्ष प्रस्तुत की गई थी । अति. कलक्टर सीकर ने अपीलाधीन निर्णय दिनांक 23.1.2017 पारित किया गया कि " यह निर्विवाद है कि चुनौतीग्रस्त नामांतरकरण उप खण्ड अधिकारी न्यायालय के निर्णय दिनांक 28.9.2015 की पालना में दर्ज किया है । निर्णय दिनांक 28.9.2015 में राजस्व अभिलेख में हुई लिपीकीय त्रुटि को दुरूस्त करने का आदेश दिया गया है । अपीलान्ट का अपील मीमों में भी यहीं कथन है कि वह उप खण्ड अधिकारी के आदेश दिनांक 28.9.2015 से व्यथित है तथा इसकी अपील करने का इरादा रखता है । ऐसी स्थिति में उप खण्ड अधिकारी के निर्णय को चुनौति प्रदान के स्थान पर उप खण्ड अधिकारी के निर्णय की पालना में दर्ज किये गये नामांतरकरण को अपील के माध्यम से चुनौती देना विधिसम्मत नहीं है । अतः अपील इस आधार पर पोषणीय नहीं होने के कारणा खारिज की जाती है" ।

अति. कलक्टर सीकर के उक्त निर्णय से व्यथित होकर अपीलान्ट सहायक अभियन्ता 132 के.वी. जीएसएस नीमकाथाना, जिला सीकर ने यह दोनों अपीलें मियाद अधिनियम की धारा 5 के प्रार्थना पत्र के साथ प्रस्तुत कर स्वीकार करने एवं अधीनस्थ न्यायालय अति. कलक्टर सीकर के निर्णय दिनांक 23.1.2017 एवं नामांतरकरणर संख्या 35 दिनांक 5.10.2015 एवं नामांतरकरण संख्या 42 दिनांक 4.12.2015 जो अपीलान्ट की खातेदारी की भूमि पूर्ववर्ती रही है, के संदर्भ में दिया गया आदेश न्यायालय तहसीलदार नीमकाथाना निरस्त किये जाने की प्रार्थना की ।

दोनों अपीलें प्रस्तुत होने पर रेस्पोंडेन्ट्स की तलबी की गई । अधीनस्थ न्यायालय का रेकार्ड तलब किया गया । उभयपक्ष के योग्य अधिवक्ताओं ने लिखित बहस प्रस्तुत की । उभयपक्ष के योग्य अधिवकताओं की बहस भी सुनी गई ।

अपीलान्ट के योग्य अधिवक्ता ने बहस के दौरान मुख्य रूप से कथन किया कि विद्युत विभाग को विवादित भूमि खसरा नम्बर 360 रकबा 3 बीघा 1 बिस्वा में से 1 बीघा 10 बिस्वा भूमि आवंटित हुई थी, लेकिन गलती से विद्युत विभाग के नाम 3 बीघा 1 बिस्वा भूमि का नामांतरकरण हो गया , जिसे संशोधन कराने हेतु रेस्पोंडेन्ट रामगोपाल ने उप खण्ड अधिकारी के समक्ष वाद प्रस्तुत किया था , जिसमें उप खण्ड अधिकारी नीमकाथाना ने आदेश दिनांक 28.9.2015 द्वारा भूमि खसरा नम्बर 360 रकबा 0.76 हैक्टेयर जिसके नये खसरा नम्बर 244, 245, 246 किता 3 रकबा 0.76 हैक्टेयर (3 बीघा 1 बिस्वा) के स्थान पर रकबा 1 बीघा 10

चित्रा
अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जयपुर

Scanned by CamScanner

बिस्वा दर्ज करने के आदेश तहसीलदार नीमकाथाना को दिये हैं । तहसीलदार नीमकाथाना ने उप खण्ड अधिकारी के उक्त निर्णय की आड में विवादित उक्त भूमि के खसरा नम्बरों के टुकडे कर दिये ओर जो भूमि विद्युत विभाग के प्रारम्भ से ही कब्जे में थी तथा उसकी चारदीवारी बनी हुई थी , को चारागाह अंकित कर नगर पालिका नीमकाथाना के नाम करदी ओर जो भूमि सडक बाउण्ड्री में थी उसको विद्युत विभाग के नाम करदी । नगर पालिका द्वारा विद्युत विभाग को भूमि से बेदखल करने की कार्यवाही प्रारम्भ करदी । उनका कहना था कि उप खण्ड अधिकारी नीमकाथाना के उक्त निर्णय के खिलाफ विद्युत विभाग द्वारा न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी के समक्ष अपील प्रस्तुत की थी , जो खारिज होने पर उसके खिलाफ राजस्व मण्डल अजमेर में अपील पेश कर रखी है , जो विचाराधीन है । उनका कहना था कि बिना विधिक प्रकिया अपनाये व अपीलान्ट को बिना सुने उसकी भूमि का नामांतरकरण संख्या 35 तहसीलदार ने चारागाह का तस्दीक कर बाद में नामांतरकरण संख्या 42 नगर पालिका नीमकाथाना के नाम तस्दीक कर दिया । उनका कहना था कि सिविल न्यायाधीश नीमकाथाना के द्वारा बनवायी गयी कमिश्नर रिपोर्ट में भी अपीलान्ट का विवादित भूमि पर कब्जा प्रमाणित माना है । उनका कहना था कि नगर पालिका नीमकाथाना ने विवादित भूमि से विद्युत विभाग को बेदखल करने का नोटिस दिया था जिसे ए.सी.जे.एम न्यायालय में चुनौती दी थी जिसकी अपील ए.डी.जे. न्यायालय से खारिज होने पर अब उसके खिलाफ माननीय उच्च न्यायालय में रिट याचिका प्रस्तुत की हुई है , जिसमें अपीलान्ट को आदेश दिनांक 5.1.2018 द्वारा स्थगन मिला हुआ है, जो वर्तमान में प्रभावी है । उनका कहना था कि अधीनस्थ न्यायालय ने प्रकरण के तथ्यों को नजरन्दाज करते हुये अपीलान्ट की अपील अपीलाधीन आदेश द्वारा खारिज करने में विधिक त्रुटि की है । अतः दोनों अपील अपीलान्ट स्वीकांर की जाकर अपीलाधीन आदेश अति. जिला कलक्टर सीकर दिनांक 23.1.2017 एवं प्रश्नगत दोनों नामांतरकरण निरस्त किये जावे ।

चित्रा
रिक्त संभागीय
जयपुर

रेस्पोंडेन्ट्स के योग्य अधिवक्ताओं ने बहस में अपील का विरोध करते हुये मुख्य रूप से कथन किया कि विद्युत विभाग को भूमि खसरा नम्बर 360 रकबा 3 बीघा 1 बिस्वा में से 1 बीघा 10 बिस्वा भूमि आवंटित हुई थी , लेकिन विद्युत विभाग के नाम सम्पूर्ण 3 बीघा 1 बिस्वा भूमि का नामांतरकरण दर्ज कर दिया गया । रेस्पोंडेन्ट रामगोपाल द्वारा उप खण्ड अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत किये गये वाद में उप खण्ड अधिकारी नीमकाथाना ने आदेश दिनांक 28.9.2015 पारित कर भूमि खसरा नम्बर 360 रकबा 0.76 हैक्टेयर जिसके नये खसरा नम्बर 244, 245, 246 किता 3 रकबा 0.76 हैक्टेयर (3 बीघा 1 बिस्वा) के स्थान पर रकबा 1 बीघा 10 बिस्वा दर्ज करने के आदेश तहसीलदार नीमकाथाना को दिये थे । उप खण्ड अधिकारी के उक्त निर्णय की अनुपालना में प्रश्नगत नामांतरकरण तहसीलदार द्वारा तस्दीक किये है । नगर पालिका नीमकाथाना के नाम विवादित भूमि का नामांतरकरण दर्ज होने पर नगर पालिका ने विवादित भूमि का सीमाज्ञान

Scanned by CamScanner

करवा कर सीमाज्ञान अनुसार भूमि का कब्जा प्राप्त कर लिया गया था एवं वर्तमान में विवादित भूमि पर नगर पालिका का क्षेत्राधिकार व कब्जा है । अपीलान्ट द्वारा उप खण्ड अधिकारी के निर्णय के खिलाफ राजस्व अपील अधिकारी के न्यायालय सीकर एवं प्रश्नगत नामांतरकरणों के खिलाफ अति. जिला कलक्टर सीकर के न्यायालय में अपील दायर की गयी जिनमें राजस्व अपील अधिकारी सीकर द्वारा निर्णय दिनांक 19.12.2016 एवं अति. जिला कलक्टर सीकर ने निर्णय दिनांक 23.1.2017 से अपीलान्ट की अपीलें खारिज की है । विद्युत विभाग द्वारा विवादित भूमि पर यथास्थिति बाबत आदेश प्राप्त करने हेतु प्रस्तुत किया गया वाद अति. विरिष्ठ सिविल न्यायाधीश एवं अति. मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट नीमकाथाना द्वारा खारिज किया जा चुका है । उनका कहना था कि नगर पालिका द्वारा विवादित भूमि पर सार्वजनिक शौचालय एवं पेशाब घर का निर्माण करवा दिया गया है एवं पार्क बनाने हेतु चार दीवारी का निर्माण कार्य चल रहा था, लेकिन अपीलान्ट की माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जयपुर में प्रस्तुत सिविल रिट याचिका संख्या 2003/2017 में माननीय उच्च न्यायालय ने दिनांक 5.1.2018 को स्थगन आदेश जारी कर अग्रिम आदेश तक यथास्थिति बनाये रखने हेतु पक्षकारान को पाबन्द किया गया है, जिसके कारण पार्क का निर्माण कार्य नगर पालिका को बीच में ही रोकना पडा है । उनका कहना था कि प्रश्नगत नामांतरकरण उप खण्ड अधिकारी के आदेश की पालना में तहसीलदार द्वारा तस्दीक किये गये हैं एवं नामांतरकरणों के खिलाफ न्यायालय अति. जिला कलक्टर सीकर के समक्ष अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत अपील में अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाधीन आदेश द्वारा अपीलान्ट का अपील मीमों में भी यहीं कथन कि वह उप खण्ड अधिकारी के आदेश दिनांक 28.9.2015 से व्यथित है तथा इसकी अपील करने का इरादा रखता है । ऐसी स्थिति में उप खण्ड अधिकारी के निर्णय को चुनौति प्रदान के स्थान पर उप खण्ड अधिकारी के निर्णय की पालना में दर्ज किये गये नामांतरकरण को अपील के माध्यम से चुनौती देना विधिसम्मत नहीं होना मानते हुये अपीलान्ट की दोनों अपीलें इस आधार पर पोषणीय नहीं होने के कारणा खारिज की गई है । अतः अपीलाधीन आदेश अति. जिला कलक्टर सीकर दिनांक 23.1.2017 उचित एवं विधिसम्यक होने से यथावत रखते हुये दोनों अपील अपीलान्ट खारिज की जावे ।

चित्रा
अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जयपुर

मैनें प्रकरण के अभिलेख को देखा एवं प्रकरण के तथ्यों पर विचार किया । उभयपक्ष के योग्य अधिवक्ताओं की बहस पर मनन किया । प्रकरण में अपीलान्ट को आवंटित विवादित भूमि खसरा नम्बर 360 रकबा 1 बीघा 10 बिस्वा थी, लेकिन सम्पूर्ण 0.76 हैक्टेयर भूमि अपीलान्ट के नाम दर्ज होने से रेस्पोंडेन्ट रामगोपाल द्वारा प्रस्तुत वाद में न्यायालय उप खण्ड अधिकारी नीमकाथाना ने आदेश दिनांक 28.9.2015 पारित कर रकबा दुरूस्त करने पर तहसीलदार नीमकाथाना ने नामांतरकरण संख्या 35 दिनांक 5.10.2015 को विवादित भूमि खसरा नम्बर 245/1 रकबा 0.37 हैक्टेयर , खसरा नम्बर 246/1 रकबा 0.01 हैक्टेयर कुल

Scanned by CamScanner

किता 2 रकबा 0.38 हैक्टेयर चारागाह एवं खसरा नम्बर 244 रकबा 0.04 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 245/2 रकबा 0.24 हैक्टेयर एवं खसरा नम्बर 246/2 रकबा 0.10 हैक्टेयर कुल किता 3 रकबा 0.38 हैक्टेयर का 132 के.वी. जीएसएस नीमकाथाना अपीलान्ट के नाम तस्दीक किया गया एवं इसके बाद नामांतरकरण संख्या 42 दिनांक 4.12.2015 को खसरा नम्बर 245/1 रकबा 0.37 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 246/1 रकबा 0.01 कुल किता 2 रकबा 0.38 हैक्टेयर का नगर पालिका नीमकाथाना के नाम तस्दीक किया गया । प्रश्नगत नामांतरकरणों के खिलाफ अपीलान्ट की अपीलें अधीनस्थ न्यायालय अति. कलक्टर सीकर ने अपीलाधीन निर्णय दिनांक 23.1.2017 से यह निर्विवाद माना कि चुनौतीग्रस्त नामांतरकरण उप खण्ड अधिकारी न्यायालय के निर्णय दिनांक 28.9.2015 की पालना में दर्ज होने एवं निर्णय दिनांक 28.9.2015 में राजस्व अभिलेख में हुई लिपीकीय त्रुटि को दुरूस्त करने का आदेश दिया गया है । अपीलान्ट का अपील मीमों में भी यहीं कथन था कि वह उप खण्ड अधिकारी के आदेश दिनांक 28.9.2015 से व्यथित है तथा इसकी अपील करने का इरादा रखता है । ऐसी स्थिति में उप खण्ड अधिकारी के निर्णय को चुनौति प्रदान के स्थान पर उप खण्ड अधिकारी के निर्णय की पालना में दर्ज किये गये नामांतरकरण को अपील के माध्यम से चुनौती देना विधिसम्मत नहीं होना मानते हुये अपीलान्ट की दोनों अपीलें पोषणीय नहीं होने के कारणा खारिज की गई है । उप खण्ड अधिकारी नीमकाथाना के निर्णय के खिलाफ न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी सीकर से अपीलान्ट की अपील खारिज होने पर इसके खिलाफ न्यायालय राजस्व मण्डल अजमेर के समक्ष विचाराधीन होना बताया गया है । विद्युत विभाग द्वारा विवादित भूमि पर यथास्थिति बाबत आदेश प्राप्त करने हेतु प्रस्तुत किया गया वाद अति. विरिष्ठ सिविल न्यायाधीश एवं अति. मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट नीमकाथाना द्वारा खारिज किये जाने पर इसके खिलाफ अपीलान्ट की माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जयपुर में प्रस्तुत सिविल रिट संख्या 2003/2017 में माननीय उच्च न्यायालय ने दिनांक 5.1.2018 को स्थगन आदेश जारी कर अग्रिम आदेश तक यथास्थिति बनाये रखने हेतु पक्षकारान को पाबन्द किया हुआ है ।

चित्रा
अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जयपुर

उपरोक्त तथ्यों के परिपेक्ष्य के परिपेक्ष्य में सर्वप्रथम अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत धारा 5 मियाद अधिनियम के प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुये विलम्ब के विरोध में रेस्पोंडेन्ट द्वारा कोई शपथ पत्र प्रस्तुत नहीं किये जाने एवं विलम्ब के संबंध लचिला रूख अपनाते हुय धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर अपील प्रस्तुत करने में हुये विलम्ब को क्षमा किया जाता है । हम समझते हैं कि विवादित भूमि के दोनों प्रश्नगत नामांतरकरण उप खण्ड अधिकारी नीमकाथाना के निर्णय दिनांक 28.9.2015 की पालना मे तहसीलदार नीमकाथाना द्वारा तस्दीक किये गये हैं । यह विधि का सुस्थापित सिद्धान्त है कि

Scanned by CamScanner

जिस आदेश की अनुपालना में प्रश्नगत नामांतरकरण तस्दीक हुये हैं, उन्हें तब तक विधिक रूप से निरस्त नहीं किया जा सकता जब तक कि उप खण्ड अधिकारी का निर्णय सक्षम न्यायालय से निरस्त नहीं हो जाता । अपीलान्ट द्वारा उप खण्ड अधिकारी के निर्णय के खिलाफ अपील राजस्व अपील अधिकारी सीकर से खारिज होने पर इसके खिलाफ अपील वर्तमान में न्यायालय राजस्व मण्डल अजमेर में विचाराधीन होना बताया गया है जिसमें उप खण्ड अधिकारी के आदेश के संबंध में निर्णय होना है । अतः ऐसी स्थिति में हम प्रश्नगत नामांतरकरणों के संबंध मे कोई निर्णय किया जाना विधिसम्यक नहीं समझते हैं । अधीनस्थ न्यायालय अति. जिला कलक्टर सीकर ने अपीलाधीन निर्णय दिनांक 23.1.2017 से उप खण्ड अधिकारी के निर्णय को चुनौति प्रदान के स्थान पर उप खण्ड अधिकारी के निर्णय की पालना में दर्ज किये गये नामांतरकरणों को अपील के माध्यम से चुनौती देना विधिसम्मत नहीं होना मानते हुये अपीलान्ट की दोनों अपीलें पोषणीय नहीं होने के कारणा खारिज की है, जो उचित एवं विधिसम्यक है । विवादितभूमि के संबंध में विद्युत विभाग द्वारा यथास्थिति बाबत आदेश प्राप्त करने हेतु अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत किया गया वाद अति. विरिष्ठ सिविल न्यायाधीश एवं अति. मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट नीमकाथाना से खारिज होने पर इसके खिलाफ अपीलान्ट की माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जयपुर में प्रस्तुत सिविल रिट संख्या 2003/2017 में माननीय उच्च न्यायालय ने दिनांक 5.1.2018 को स्थगन आदेश जारी कर अग्रिम आदेश तक यथास्थिति बनाये रखने हेतु पक्षकारान को पाबन्द किया हुआ है । चूंकि पक्षकारों के हक हकूकों का निर्धारण राजस्व मण्डल अजमेर में विचाराधीन अपील एवं माननीय उच्च न्यायालय में विचाराधीन रिट याचिका में ही होना है । अतः अपीलान्ट की अपील माननीय राजस्व मण्डल अजमेर में एवं माननीय उच्च न्यायालय में विचाराधीन रिट याचिका के दृष्टिगत नामांतरकरण की अपीलों में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश में हम कोई हस्तक्षेप किया जाना उचित नहीं समझते हैं तथा यह दोनों अपील अपीलान्ट खारिज किये जाने योग्य है । परिणामस्वरूप दोनों अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है ।

अधीनस्थ न्यायालय का रेकार्ड निर्णय की प्रति के साथ पालनार्थ लौटाया जावे । इस न्यायालय की पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद पूर्ति लेख भण्डार हो ।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

चित्रा

(चित्रा गुप्ता)
अति. सम्भागीय आयुक्त
जयपुर

Scanned by CamScanner